RCMS/220447

कार्यालय अंचल अधिकारी बरवाडीह, (जिला– लातेहार)

अनुसूचि 11 [illegible]

आदेश पत्रक

([illegible] अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

.... से .... सन 2022-23

आदेश पत्रक सं० .... सं० 119

जिला .... लातेहार

मौजा का प्रकार :– CS [illegible] भूमि का HS में [illegible]

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
1	2	
14.12.22	आवेदक/आवेदिका .... [illegible] देवी .... पिता/पति .... [illegible] थाना .... [illegible] जिला .... सांकिन .... [illegible] के द्वारा C.S. से H.S. पंजी II को आईलाईन कर [illegible] रसीद निर्गत करने हेतु अनुरोध किया है। जो निम्न है:– मौजा: बरवाडीह 72 — खाता नया: 88 — प्लॉट: 445 — रकबा: 0.07½ डी० राजस्व उप निरीक्षक /अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें एवं आम इश्तेहार निर्गत करें। दिनांक 29.12.22 को अभिलेख उपस्थापित करें। [signature] 14.12.22 अंचल अधिकारी, बरवाडीह।	
29.12.22	अभिलेख उपस्थापित । आम इश्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। किसी के द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ । राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त । राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि श्री .... [illegible] देवी .... पिता/पति .... [illegible] .... सांकिन .... [illegible] .... मे रैयती वाद संख्या .... 185/01-02 के द्वारा रकबा .... 0.07½ डी०	

.....रक भूमि प्राप्त किये है। जिसका C.S. तथा R.S. का प्रतिवेदन निम्न प्र...

C.S. के अनुसार –

मौजा का नाम/थाना सं0	खाता	प्लॉट	रकबा
बरवाडीह 22	3	539	0.0[illegible]

R.S. के अनुसार –

मौजा का नाम/थाना सं0	खाता	प्लॉट	रकबा
बरवाडीह 22	88	445	0.07

उक्त भूमि का जमाबंदी पुनम देवी पति गिरजानन्दन सिंह साकिन कुंचनपुर के नाम से C.S. मांग पंजी॥ में चल रहा था। भूमि रैयती खाते की है एवं आवेदक का शांतिपूर्ण दखल–कब्जा है। उक्त भूमि पर आवेदक के नाम से पूर्व में रैयती वाद सं0 185 / 2001-02 द्वारा स्वीकृति दी गई थी। तदनुसार आवेदक/आवेदिका के नाम से जमाबंदी कायम कर लगान रसीद निर्गत किया जा रहा था। वर्ष 2012-13 तक लगान रसीद निर्गत है। लगान रसीद/खतियान की छायाप्रति एवं अमीन द्वारा ट्रेस किए गए नये/पुराने खाता प्लॉट का सत्यापित नक्शा संलग्न है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक के स्पष्ट अनुशंसा एवं रैयती वाद संख्या 185 / 2001-02 के आधार पर पूर्व में कायम जमाबंदी जिसका लगान वर्ष 2012-13 तक वसूल है का, सरकार के सचिव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड रांची के पत्रांक 1704 दिनांक 15.07.2020 के अनुपालन में लगान रसीद निर्गत करने हेतु लाल रजिस्टर में उक्त जमाबंदी को अद्यतन करने की स्वीकृति दी जाती है। उक्त आदेश किसी भी सक्षम न्यायालय के स्वत्व संबंधित पारित आदेश से प्रभावित होगा।

Digitally signed by Santosh Kumar Shukla
Date: 2024.02.20 12:43:53 +05:30
Location: 192.168.65.140

तदनुसार आदेश का उदवरण तीन प्रति में हस्ताक्षरित।

आदेश की दो प्रति राजस्व उप निरीक्षक को अनुपालन हेतू दें तथा अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक पक्ष के अन्दर समर्पित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

[signature] 24.5.22

अंचलअधिकारी,

[signature] 24.5.22

[signature]